पशु अतिचार अधिनियम, 1871

(1871 का 1) दिनांक 13-1-1871

पशुओं के अतिचार से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये अधिनियम।

उद्देश्य - यतः पशुओं द्वारा अतिचार से सम्बन्ध विधि को समेकित एवं संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1. नाम व विस्तार - यह अधिनियम पशु अतिचार अधिनियम, 1871 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों के सिवाय जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व भाग "ख" राज्यों में (मध्य भारत तथा सिरोंज क्षेत्र छोड़कर) समाविष्ट थे और प्रेसीडेन्सी नगरों, या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के सिवाय, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसके परिवर्तन से अपवर्तित करें, सम्पूर्ण भारत पर है।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विस्तार अधिनियम, 1958 (विधान क्र. 23, वर्ष 1958) की धारा (3) उपधारा (1) में यह प्रावधान यिा गया है कि वे विधान जो अनुसूची "अ" में वर्णित है तथा जो विधि महाकौशल क्षेत्र में लागू है तथा वे निर्धारित तिथि से मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्र मे लागू होंगे तथा पशु अतिचार नियम, 1871 अनुसूची "अ" में शामिल है अतः सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लाग है।

धारा 2. विधियों का निरसन - निरसित विधियों के निर्देश निरसित किये गये। निरसित अधिनियम (विधान क्र. 1, वर्ष 1938) धारा 2 एवं अनुसूची।

धारा 3. निर्वचन खंड - इस अधिनियम में पुलिस अधिकारी के अन्तर्गत "ग्राम चौकीदार" भी है, पशु के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंसे, घोड़ी, खस्सी, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ी, खच्चर, गधे, सुअर, मेढ़े, भेड़, भैंस, मेमने, बकरियाँ तथा बकरियों के बच्चे भी हैं।

"स्थानीय अधिकारी" से ऐसे व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं मामलों में नियंत्रण और प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय विनिहित है, और

"स्थानीय निधि" से किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबन्ध अधीन कोई निधि अभिप्रेत है।

अध्याय 2

कांजीहौस और कांजीहौस के रखवाले

धारा 4. कांजीहौस की स्थापना - कांजीहौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जिनके बारे में जिला दंडाधिकारी, राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन, समय-समय पर निर्देश दे।

इस बात का अवधारण कि प्रत्येक कांजीहौस किस ग्राम द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

धारा 5. कांजीहौस का नियंत्रण, परिबद्ध पशुओं की खिलाने के लिये प्रभारों की दरें - कांजीहौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे और परिबद्ध पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिये प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय-समय पर परिवर्तन कर सकेंगे।

धारा 6. कांजीहौस रखवालों की नियुक्ति - राज्य सरकार प्रत्येक कांजीहौस के लिये एक कांजीहौस रखवाला नियुक्त करेगी।

(2) कोई कांजीहौस रखवाला, एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा।

(3) प्रत्येक कांजीहौस रखवाला भ. द. स. (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

कांजीहौस रखवालों के कर्त्तव्य

धारा 7. पंजियां रखना व विवरणियाँ देना - प्रत्येक कांजीहौस रखवाला ऐसी पंजी रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य शासन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

धारा 8. अभिग्रहणों को पंजी करना - जब पशु कांजीहौस में लाये जावें तक कांजीहौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा :

(क) लाये पशुओं की संख्या और वर्णन,

(ख) वह दिन और समय जब वे वहाँ लाये गये,

(ग) अधिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान तथा

(घ) स्वामी का, यदि ज्ञात हो, नाम व निवास स्थान तथा अभिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा।

धारा 9. पशुओं का भार ग्रहण करना और उन्हें खिलाना - कांजीहौस रखवाला पशुओं का तब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट रूप में व्ययन नहीं कर दिया जाता, भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलायेगा और पिलायेगा।

अध्याय 3

पशुओं को परिबद्ध करना

धारा 10. अनधिकार भूमि प्रवेश तथा क्षति पहुँचाने वाले पशु को पकड़ना - किसी भूमि का स्वामी या कब्जेदार या कोई व्यक्ति जो भूमि पर हित रखता हो, ऐसे पशु को पकड़ सकता है या पकड़वा सकता है जो ऐसी भूमि पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करे या क्षति पहुंचावे अथवा ऐसी फसल, उपज या सम्पत्ति जो ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व, कब्जे या हित रखने वाले व्यक्ति को आघात पहुँचावे या रूकावट डाले, या कोई अन्य व्यक्ति जो आज्ञा या अनुज्ञप्ति से उपस्थित रहे या उसके प्रभार में रहे, तथा ऐसे पशु, ऐसी भूमि, अन्य फसल उपज या सम्पत्ति पर क्षति पहुँचाए तो ऐसे पशु को 24 घण्टे के अन्दर, जिस ग्राम में वह भूमि स्थित हो, उस ग्राम के लिये स्थापित कांजीहौस में स्वयं भेज दे या किसी के माध्यम से जिभवायें।

सभी पुलिस अधिकारी को आवश्यक पड़ने पर सहायता करनी होगी जब -

(क) ऐसा पकड़ने में मुकाबला हो,

(ख) ऐसी पकड़ करने वाले व्यक्तियों से पशुओं को छुड़ाने के प्रतिरोध में सहायता आवश्यक जो हो।

धारा 11. सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुँचाने वाले पशु - सार्वजनिक सड़कों, आमोद-प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकाय संकर्मों, बांधों आदि के भार साधन व्यक्ति (स्थानीय शासन के अधिकारी एवं कर्मचारी) और पुलिस अधिकारी, ऐसी सड़कों, स्थलों, बागानों, नहरों, जल निकाय संकर्मों या बांधों के पार्श्वों या ढलानों के नुकसान पहुँचाने वाले या वहाँ भटकते हुए पाये गये किन्हीं पशुओं को अभिग्रहीत कर सकेंगे या अभिग्रहित करा सकेंगे और उनको चौबीस घण्टों के अन्दर निकटतम कांजीहौस को भेजेंगे या भिजवायेंगे।

धारा 12. परिबद्ध पशुओं के जुर्माने - पुर्वोक्त रूप से परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिये कांजीहौस रखवाला ऐसा जुर्माना उद्ग्रहीत करेगा जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा तत्समय के लिये विहित मान से हो। विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न मान विहित किये जा सकेंगे।

ऐसे उद्ग्रहीत सब जुर्माने, ऐसे अधिकारी का मार्फत जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जावेंगे।

पशुओं के जुर्माने, तथा दाना-पानी की नियम दरें की सूची प्रत्येक कांजीहौस पर या उनके निकट किसी संलक्ष्य स्थान पर लगा दी जायेगी।

धारा 12. (अ) बन्द किये पशु के लिए अमानत - किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जिस क्षेत्र में राज्य शासन अधिसूचना द्वारा इस धारा को प्रवृत्त करें, प्रत्येक कांजीहौस रक्षक, बन्दी पशुओं को छोड़ने के पहिले, पशु के

स्वामी या अभिकर्त्ता को राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऐसे पशु के स्वामी की घोषणा तथा ऐसी राशि अमानत के रूप में जो राज्य शासन नियम द्वारा नियत करे, जमा कराएगा। विभिन्न प्रकार के दर विभिन्न क्षेत्रों के लिये तथा विभिन्न वर्गों के पशुओं के लिये निर्धारित की जा सकेगी।

यदि ऐसे उपरोक्त पशु के स्वामी द्वारा अमानती राशि के जमा करने के 6 माह की भीतर, यदि पशु का पकड़ा जाना अवैधानिक करार न दिया गया हो तो अमानती राशि या उसका भाग, जैसे कि राज्य शासन ने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हों, के अधीन शासन में राजसात् हो जायेंगे।

यदि ऐसे स्वामी के पशु उपरोक्त रीति से बन्द नहीं किये गये हों तो अमानती जमा करने वाले या उसकी ओर से जमा करने वाले अन्य व्यक्ति इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र निर्धारित कालावधि में देकर वापस ले सकते हैं।

प्रत्येक अवसर पर नवीन अमानत राशि पशु छोड़ने के लिए जमा करना होगा जब यह विधि लागू है।

धारा 12. (ब) ऐसे पशु जो स्वभावतः भटकने के लिए छोड़ दिये जाते हैं उनके लिये विशेष प्रावधान -

(1) यदि जिले के मजिस्ट्रेट या स्थानीय स्वशासन के प्रति वेदन से राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके क्षेत्र में ऐसे भटके हुए पशुओं के कारण, फसल, उपज या किसी सम्पत्ति को अत्यधिक क्षति हो रही है तो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, इस धारा का प्रावधान ऐसे क्षेत्र में सामान्यतः या ऐसे पशु के प्रकार या ऐसे वर्ग के पशु के लिये, जैसा विनिर्दिष्ट हो, प्रवृत्त कर सकता है।

(2) सभी पशु रक्षक या स्वामी जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रावधान आवृत्त किये हैं, अपने पशु को, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के एक घण्टे के बाद की अवधि के दौरान पकड़कर घर में रखेगा या बन्द रखेगा।

(3) किन्हीं व्यक्ति के लिये यह वैधानिक होगा कि वह ऐसे भटके हुए पशुओं को ऐसे क्षेत्र में पकड़ सकेगा तथा उसे तुरन्त निकटतम कांजीहौस में भेजेगा। पुलिस के सभी अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ऐसी पकड़ का मुकाबला करने तथा ऐसी पकड़ करने वाले व्यक्तियों से पशुओं को छुड़ाने के प्रतिरोध में सहायता करेगा।

(4) कोई जुर्माना जो इस धारा के अन्तर्गत लगाये गये हों, वे विधान की दूसरी वसूली की रीति को प्रभावित किये बिना पूरे पशु या अन्य पशुओं जिसके सम्बन्ध में अपराध घटित किया गया हो, बेचने के पश्चात् वसूल होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन हेतु -

(1) "बन्द कर रखने" का तात्पर्य पशु को प्रभावशाली ढंग से किसी रूंधान दीवाल या परकोटे के भीतर रखना होगा।

(2) "पकड़कर रखने" का तात्पर्य पशु को प्रभावशाली ढंग से किसी रस्सी या अन्य से कस कर बांधने से होगा।

अध्याय 4

पशुओं की सुपुर्दगी (परिदान) या विक्रय

धारा 13. जब स्वामी पशुओं का दावा करता है और प्रभारों का संदाय करता है तब प्रक्रिया - यदि परिबद्ध पशुओं का स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित हो और पशुओं का दावा करे तो कांजीहौस रखवाला, ऐसे पशुओं की बावत उपगत प्रभारों और जुर्माने के तथा अमानती राशि जैसी धारा 12-अ में निर्धारित की हो के संदाय या उसे उनका परिदान कर देगा।

स्वामी या उसके अभिकर्ता, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजीहौस रखवाले द्वारा रखे गये रजिस्टर में उनके लिये पावती हस्ताक्षरित करेगा।

धारा 14. यदि पशुओं के लिये, सप्ताह तक दावा न किया जाये तो प्रक्रिया - यदि पशुओं के बारे में दावा, उनके परिबद्ध किये जाने की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया गया तो कांजीहौस रखवाला उस बात

की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के भार-साधक अधिकारी को या, ऐसे अन्य अधिकारी को करेगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे।

ऐसा अधिकारी तब अपने कार्यालय के सहज दृश्य भाग में एक सूचना लगाएगा जिसमें निम्न कथन होगा -

(क) पशुओं की संख्या व वर्णन

(ख) वह स्थान जहाँ अभिग्रहीत किए गये थे,

(ग) वह स्थान जहाँ वे परिबद्ध किये गये हैं और डोंडी पिटवाकर उसकी उद्घघोषणा अभिग्रहण के स्थान के निकटतक ग्राम व बाजार स्थल में कराएगा।

यदि पशुओं का दावा, सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जावे तो उक्त अधिकारी या उस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त उसकी स्थापन के किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान व समय पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो जिला दण्डाधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा। परन्तु यदि जिला दण्डाधिकारी की राय हो कि किन्हीं ऐसे पशुओं का पूर्वोक्त रूप से विक्रय किये जाने पर उचित कीमत मिलना संभव नहीं है तो उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट या इसके सम्बन्ध में जो अधिकारी उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए हों, इनमें पूर्व में कोई बात अन्तर्विष्ट के होने पर भी अशक्त तथा लूले-लंगड़े पशु, सुअर, गधे को उनके बंद होने के पांच दिन के भीतर बिना सूचना जारी या इश्तहार के बेच सकते हैं।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, इस धारा के अन्तर्गत बेचे जाने वाले पशु को यथोचित मूल्य देने के लिये तैयार न हो तो जिला दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किया अन्य अधिकारी, सुअर और गदहों को धारा 32 के अन्तर्गत बनाये नियम के अन्तर्गत नष्ट कर सकते हैं।

धारा 15. अभिग्रहण की वैधता पर विवाद उठाने वाले किन्तु निक्षेप करने वाले स्वामी को परिदान - यदि स्वामी या प्रतिनिधि उपस्थित होता है इस आधार पर कि पकड़ अवैधानिक है, जुर्माने और खर्च की राशि पटाने के लिए तथा घोषणा देने से अस्वीकार करता है तथा स्वामी धारा 20 के अन्तर्गत आरोप प्रस्तुत करने वाला है तब जुर्माने तथा ऐसे पशु के सम्बन्ध में किये गये खर्चे की रकम तथा अमानती राशि पटाये जाने पर धारा '12 अ' में आवश्यक घोषणा देने के पश्चात् पशु उसके सुपुर्द किये जा सकेंगे।

धारा 16. जब स्वामी जुर्माने और व्ययों का संदाय करने से इन्कार करता है तब प्रक्रिया - यदि स्वामी या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होता है तथा कथित जुर्माने, खर्चा या अमानती राशि जमा करने से अस्वीकार करता है या नहीं देता है या जमा नहीं करता है या धारा 12 "अ" में आवश्यक घोषणा नहीं देता है तो उस दशा में उक्त पशु या उसमं से इतने पशु जितने कि आवश्यक हों, ऐसे पदाधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान पर तथा समय में धारा 14 में उल्लेखित शर्तों के अधीन या उपरोक्त बताये प्रावधान के अनुसार विक्रय किये जायेंगे तथा लागू करने योग्य जुर्माने तथा दाना-पानी पर किया खर्च, उस खर्च सहित जो विक्रय पर किया गया हो, तथा धारा 12-अ पर निर्धारित अमानती राशि विक्रय से उपलब्ध राशि से काट लिए जायेंगे।

(मध्यप्रदेश विधान क्र. 27 वर्ष 1949 तथा 23 वर्ष 1950 द्वारा संशोधित)

धारा 17. जुर्मानों, व्ययों और विक्रय के आगमों के अधिशेष राशि का व्ययन - वह अधिकारी जिसके द्वारा विक्रय किया गया हो,

धारा 16 के अधीन काटे गये खिलाने-पिलाने का प्रभार कांजीहौस रखवाले को संदत्त किया जावेगा जो धारा 13 के अधीन ऐसे प्रभारों को अपने द्वारा प्राप्त सब राशियों को भी प्रतिधारित और विनियोजित करेगा।

अमानती रकम का राशि जो धारा 12-अ के अधीन आवश्यक है, वह कांजीहौस रखवाले के पास जमा रहेगी।

पशुओं के विक्रय के आगमों से अधिशेष राशि, जिसका दावा न किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जायेंगे जो उन्हें तीन मास के लिये निक्षेप (Revenue Deposit) के रूप में रखेगा और यदि उस कालावधि के भीतर उस राशि के लिए दावा न किया गया और यह न सिद्ध हुआ तो उसकी समाप्ति पर यह समझा जावेगा कि वह राज्य के राजस्वों के रूप में रखे हुए हैं।

धारा 18. जुर्माने तथा बिक्री द्वारा उपलब्ध ऐसी राशि का उपयोग जिनका कोई दावेदार न हो - भारत सरकार आदेश 1937 द्वारा निरसित।

धारा 19. अधिनियम के अधीन विक्रयों में अधिकारियों और कांजीहौस रखवालों का पशुओं का क्रय न किया जाना - कोई भी पुलिस अधिकारी, या अन्य अधिकारी, या कांजीहौस रखवाला, जो इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन नियुक्त हो, इस अधिनियम के अधीन विक्रय किसी पशु का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय नहीं करेगा।

कोई भी कांजीहौस रखवाला किसी परिबद्ध पशु की निर्मुक्ति (Release) या परिदान (Delivery) इस अध्ययन के पूर्ववर्ती भाग के अनुसार करने के अन्यथा तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसी निमुक्ति या परिदान मजिस्ट्रेट या व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेशित न हो।

अध्याय 5

अवैध अधिग्रहण या विरोध के परिवाद

धारा 20. परिवाद करने की शक्ति - कोई व्यक्ति, जिसके पशु इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहित किये हैं, ऐसे अभिग्रहीत किये जाने पर, इस अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध किए जाने की तारीख से, 10 दिन के भीतर किसी समय जिला दण्डाधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश के बिना ग्रहण और विचारण करने के लिए प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकेगा।

धारा 21. परिवाद पर प्रक्रिया - परिवाद स्वतः परिवादी द्वारा या परिस्थितियों से वैयक्तिक रूप से परिचित किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि वह मौखिक हो तो उसका सार मजिस्ट्रेट द्वारा लिख लिया जायेगा।

यदि परिवादी या उसके अभिकर्ता के परीक्षण पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि परिवाद सुआधारित है तो वह उस व्यक्ति को समन करेगा जिसके खिलाफ परिवाद किया गया हो और मामले की जांच करेगा।

धारा 22. अवैध अभिग्रहण या निरोध के लिये प्रतिकर - यदि अभिग्रहण या निरोध, अवैध न्याय निर्णीत किया जाये, तो मजिस्ट्रेट अभिग्रहण या निरोध से हुई हानि के लिये एक सौ रूपये से अनधिक राशि का युक्तियुक्त प्रतिकार परिवादी को दिलावेगा तथा यदि पशुओं का निर्मोचन परिवादी न कराया है तो पशुओं का निर्मोचन उपाप्त करने में परिवादी द्वारा संदत्त सब जुर्माने या उपगत व्ययों सहित राशि उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जावेगा जिसने पशुओं को निरुद्ध कराया।

यदि पशुओं का निर्माचन (R) नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा प्रतिकर दिलाने के अतिरिक्त उनके निर्मोचन का आदेश देगा और आदेश करेगा कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जायेंगे जिसने अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया।

धारा 22-अ. अमानती रकम की वापसी तथा जप्ती का निरस्तीकरण - पशुओं का पकड़ा जाना अवैध प्रमाणित हो जावे तो ऐसे पकड़े पशु के संबंध में जमा अमानती रकम वापस की जावेगी यथा ऐसे पशु की अमानती राशि की जप्ती को निरस्त किया जावेगा।

धारा 23. प्रतिकार की वसूली - धारा 22 में वर्णित प्रतिकर, जुर्माने और व्यय, ऐसे वसूल किया जा सकेंगे यथा मानों वे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों।

अध्याय 6

शास्तियां (दण्ड)

धारा 24. पशुओं के अधिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करने या छुड़ाने के लिये शास्ति - जो कोई इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय पशुओं का बलपूर्वक विरोध करेगा और जो कोई अधिग्रहण के पश्चात् उन्हें या तो कांजीहौस से, या उन्हें कांजीहौस को ले जा रहे या ले जाने वाले किसी व्यक्ति से, जो पास में हो या इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा हो, छुड़ावेगा, वह मजिस्ट्रेट के पास दोषसिद्ध होने

पर छः मास से अनाधिक की कालावधि के लिये कारावास से या पांच सौ रू. से अनाधिक राशि के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जावेगा।

धारा 25. पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिये शास्ति वसूली - पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिये शास्ति के लिये शास्ति की वसूली, ठीक आगामी धारा के अधीन या पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार करने से हुई रिष्टि के अपराध के लिये अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी के विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था चाहे वे अतिचार करते हुए अभिग्रहित किये गये थे या नहीं, और चाहे वे अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति की सम्पत्ति हों या अतिचार किये जाने के समय उसके भाराधीन ही हों।

धारा 26. सुअरों द्वारा भूमि या फसलों अथवा सार्वजनिक सड़कों को किये गये नुकसान के लिये शास्ति - सुअरों का कोई स्वामी या रखवाला जो किसी भूमि या भूमि की फसल या उपज अथवा सार्वजनिक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन्यथा उसका नुकसान करेगा अथवा करने देगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर दस रु. से अनाधिक राशि के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निर्देश दे सकेगी कि उस धारा का पूर्वगामी भाग ऐसे पढ़ा जायेगा मानों उसमें केवल सुअरों के प्रति निर्देश के स्थान पर अधिसूचना में वर्णित पशुओं के प्रति निर्देश हो तथा "दस रुपये" शब्द के लिये "पचास रुपया" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये हों अथवा उसमें ऐसा निर्देश व प्रति स्थापना दोनों हों।

धारा 26 अ. अपराध का संज्ञान - कोई भी न्यायालय कोई भी अपराध जो धारा 26 के अधीन दण्डनीय है, का संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक तथ्यों को समाविष्ट करते हुए कि अपराध हुआ है, लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपराध से ग्रसित हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक हो, प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

धारा 27. कर्त्तव्य पालन में असफल रहने वाले कांजीहौस रखवाले पर शास्ति - कोई कांजीहौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के प्रतिकूल पशुओं का निर्मोचन अथवा क्रय या परिदान करेगा या किन्ही परिबद्ध पशुओं के लिये पर्याप्त खाने व जल की व्यवस्था करने में लोप करेगा या इस अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित अन्य कर्त्तव्य में से किसी के पालने करने में असफल रहेगा, वह किसी अन्य शास्ति के अलावा, जिसके वह दायित्वधीन हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर पचास रुपये से अनधिक राशि के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, ऐसे जुर्माने कांजीहौस रखवाले के वेतन में से कटौतियों द्वारा वसूल किये जा सकेंगे।

धारा 28. धारा 25, 26, 27, के अधीन वसूल किये जुर्माने का उपयोजन - धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल किये गये सब जुर्माने सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट का समाधान पूर्वक रूप से साबित, हानि या नुकसान के लिये प्रतिकार के रूप में पूर्णतः या भागतः विनियोजित किये जा सकेंगे।

अध्याय 7
प्रतिकर के लिये वाद

धारा 29. प्रतिकर के लिये वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति - किसी बात के यहाँ अन्तर्विष्ट होते हुए, किसी व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति, फसल या भूमि के अन्य पैदावार को पशुओं के अतिचार से क्षति पहुँची हो या जिसे कोई आघात या चोट या व्यवधान हुआ हो किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिये वाद करने में प्रतिषिद्ध नहीं करती है।

धारा 30. मुजरा करना - सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति की संदत्त किसी प्रतिकर को, ऐसे वाद में प्रतिकर के रूप में, उसके द्वारा दावा की गई या उसे दिलाई गई किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा.

अध्याय 8

अनुपूरक

धारा 31. कतिपय कृत्यों को स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित करने की और अधिशेष प्राप्तियों को स्थानीय निधि में जमा करने के निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति - राज्य सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा-

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्य क्षेत्रों के किसी भाग में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, किसी स्थानीय अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के सब या किन्हीं कृत्यों का अन्तरण उस स्थानीय अधिकारी की अधिकारिता के अध्यधीन स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत कर सकेगी।

(ख) यह निर्देश देने की इस अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत प्रोद्भूत धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः स्थानीय निधि के प्रत्यय पर रखी जायेगी जो उस जिले के किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के निमित्त हो। परन्तु किसी राज्य शासन या जिला दण्डाधिकारी के कृत्य, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र में विधि विस्मरण नियम, 1928 के प्रवृत्त होने के पूर्व किये जा रहे थे, इस अधिनियम के प्रभाव में आने के कारण ऐसे सभी कृत्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को इस धारा के अधीन हस्तान्तरित मोन जावेंगे।

(म.प्र. विधान क्र. 23, वर्ष 1958 के अनुसार संशोधित)

धारा 32. नियम बनाने की शक्ति - राज्य शासन -

(अ) धारा 12 अ के अधीन अमानती राशि जमा करने की मात्रा तथा घोषणा करने की मात्रा तथा घोषणा करने की प्रक्रिया तथा प्रपत्र निर्धारित करने विषयक, तथा

(ब) अमानती राशि को जमा करने का विनियमन, संरक्षण तथा उसकी वापसी के संबंध में रीति निर्धारण करने विषयक।

(स) ऐसी रीति जिसके द्वारा पशुओं का व्ययन किया जावे, के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी।